आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री सिद्धार्थ नौटियाल, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम. बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष
आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 118/इंदौर/2021
निर्धारण वर्ष : 2015-16

श्री गोविंद सिंह चौहान प्रो.नर्मदा ट्रेडिंग कं. ग्राम बक्तारा, तहसील बुधनी, सिहौर	बनाम	प्रधान आयकर आयुक्त-1, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएक्यूपीसी 8072 एल		

अपीलार्थी की ओर से	लिखित आवेदन
राजस्व की ओर से	श्री पी.के.मित्रा, आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	29.08.2022
उद्घोषणा तिथि	31.08.2022

आदेश

श्री भागीरथ मल बियाणी, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2015-16 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान प्रधान आयकर आयुक्त-1, भोपाल के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 263 के अधीन आदेश दिनांक 19.03.2021 के विरूद्ध निदेशित है, जो कि आयकर अधिकारी, सिहोर द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 143(3) के अधीन विरचित आदेश दिनांक 16.06.2017 से उद्भूत है ।

2. इस अपील के संबंध में, निर्धारिती के द्वारा आवेदन दिनांक 22.08.2022 दाखिल किया गया हैं जिसमें यह निवेदन किया गया है कि धारा 263 के पश्चात किए गए अपास्त

निर्धारण में आक्षेपित परिवर्धन स्वतः ही हटाया गया है । इस प्रकार, जिस उद्देश्य के लिए निर्धारिती ने यह अपील दाखिल की थी, उसकी पूर्ति हो गई है । अतः निर्धारिती द्वारा वर्तमान अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निर्धारिती के इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है । अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 31.08.2022 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(सिद्धार्थ नौटियाल)	(बी.एम. बियाणी)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 31.08.2022

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल